

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर ओमेगा-1, पी-2 ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उप्र0)
दूरभाष न0 - 0120 - 2395151, फैंक्स न0 - 0120 - 2395150

पत्रांक : वाई.ई.ए./GM(P)/2018/758

दिनांक : 10.1.2019

कार्यालय आदेश

संस्थागत/औद्योगिक/ग्रुप हाऊसिंग/टारुनशिप/वाणिज्यिक/क्षेत्र भूखण्डों/भवनों के लिए वाटर, सीवर, ड्रेन, बिजली व टेलीफोन कनेक्शन की नई दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

Industrial/Institutional/Group Housing/Recreation/Town Ship

S. No	Plot Size in Sqm	Water Conn. Charge	Sewer Conn. Charge	Drain Conn. Charge	Elect & Tel. pipe Conn. charges	Total
1	Upto 500	6100	15600	13250	23350	58300
2	501 to 1000	7950	15600	15200	23350	62100
3	1001 to 2000	34750	46650	16950	23350	121700
4	2001 to 3000	34750	46950	18200	23350	123250
5	3001 to 4000	37650	47300	19450	23350	127750
6	4001 to 5000	51900	47750	20150	23350	143150
7	5001 to 100000	98450	64750	22750	32450	218400
8	10001 to 50000	111450	75200	31150	32450	250250
9	Above 50001	119850	103650	49950	32450	305900

Commercial

S. No	Plot Size in Sqm	Water Conn. Charge	Sewer Conn. Charge	Drain Conn. Charge	Elect & Tel pipe charges	Total
1	0 to 10	6100	--	6500	--	12600
2	11 to 250	6100	15600	13000	23350	58050
3	251 to 500	6100	15600	13000	23350	58050
4	501 to 1000	7950	15600	14950	23350	61850
5	1001 to 4000	37650	46700	18200	23350	125900
6	4001 to 10000	51850	46700	20130	32450	151100
7	11 to 250 (Restaurant etc)	6100	15600	13000	--	34700

आवासीय भूखण्डों के प्रति नग सर्विस कनेक्शन हेतु दरों का निर्धारण आवश्यकतानुसार अलग से किया जायेगा। उपरोक्त समस्त श्रेणियों के भूखण्डों के क्षेत्रफल में $\pm 10\%$ वेरियेशन तक आवंटन के क्षेत्रफल की श्रेणी की निर्धारित दरों को लागू माना जायेगा। सीवर व ड्रेन के लिए किसी मद हेतु एक से अधिक कनेक्शन लेने पर तदानुसार अतिरिक्त चार्ज देय होंगे। वाटर का कनेक्शन केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। इससे अधिक वेरियेशन आने पर ऊपर या नीचे की श्रेणी की दरें मानी जायेंगी।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 04.01.19 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं तथा तत्काल से प्रभावी होंगे।

भवदीय

(देवेन्द्र बालियान)
महाप्रबन्धक (परि0)

प्रतिलिपि :-

- (1) निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- (2) विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन) को सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) उप महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-1/2/3/4/6/उद्यान/विद्युत/एसेट) को सूचनार्थ प्रेषित।

(देवेन्द्र बालियान)
महाप्रबन्धक (परि0)